# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 44/2016 (225)

आरसीएमएस संख्या – 2016/00333

**उनवान**

1. माधो सिंह पुत्र स्व0 श्री कुंजी
2. उगन्ती वेवा कुंजी पुत्री टीकम सिंह
   जातियान जाट निवासीयान बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

**बनाम**

1. कपिल कुमार आयु 15 साल पुत्र माधो सिंह नाबालिग बरविलायत माता खुद सुनीता पत्नि माधो सिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी ग्राम सहायपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. प्रिया कुमारी आयु 5 साल पुत्री माधो सिंह नाबालिग बरविलायत माता खुद सुनीता पत्नि माधो सिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी ग्राम सहायपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई दिनांक 13.04.2016 प्रकरण संख्या 72/14 उनवान कपिल कुमार वगै0 बनाम माधो सिंह।

उपस्थित :–

1. श्री सोनीराम शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक रैस्पो0।

**निर्णय** **दिनांक :–08.01.2024**

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, नदबई के आदेश दिनांक 13.04.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी की पैतृक आराजी हैं। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी को जन्म से ही अधिकार निहित हैं। परन्तु अप्रार्थी ने विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 02 की आराजी में से खाता संख्या 18 पर अपने नाम न्यारान्यूर खातेदारी दर्ज करा ली है एवं उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर अप्रार्थी विवादित आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमदा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये, अप्रार्थी को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए बहस में कथन किया कि रैस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 में जो सजरा पेश किया गया है वह तथ्य को छुपाकर प्रस्तुत किया गया है। मृतक कुंजी के वारिस के रूप में अपीलाण्ट के अलावा मृतक कुंजी की 6 पुत्रियो और भी हैं। जिनको रैस्पो0 ने प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अतः माधो सिंह का विवादित आराजी में हिस्सा 1/3 ना होकर 1/9 हिस्सा है। रैस्पो0 की मॉ झगडालू किस्म की औरत है एवं वह अपने पीहर में ही निवास करती है। उगन्ती माधो सिंह की मॉ है। उसके नाम आराजी स्वःअर्जित मानी जावेगी उसे पैतृक आराजी नहीं माना जा सकता है। उगन्ती के पिता टीकम सिंह थे जिनके पास उगंती के अलावा कोई संतान नहीं थी। अतः बीलौठ की जमीन उंगती को उसके पिता से प्राप्त हुयी है। अतः रैस्पो0 को ग्राम बीलौठ की आराजी में कोई हक उत्पन्न नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 212 के तीनों महत्वपूर्ण घटको का कोई विश्लेषण अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश भी आदेशिका पर अंकित हैं, जो विधिक नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर कुंजी के सभी वारिसो को पक्षकार मुकदमा बनाते हुये, पुनः विधिवत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1994 पेज 542, आरबीजे 2010 पेज 611 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि यदि कुंजी के और वारिस हैं, तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा बना लिया जावेगा। विवादित आराजी हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है। चाहे वह उगन्ती के पिता से मिली हो या पति से, दोनों ही अवस्था में रैस्पो0 का विवादित आराजी में स्वत्व बनता है। विवादित आराजी में कितना हिस्सा है। उक्त तथ्य विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल वाद में तय होगा। आदेशिका पर अपीलाधीन आदेश लिखा है। इस तथ्य से प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पडता। अतः अपीलाधीन आदेश, आदेश की संज्ञा में ही आता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में कही नहीं लिखा कि तीनो बिन्दु लिखे जाने आवश्यक हैं। यदि नहीं लिखे हैं तो भी कार्यवाही बेकार नहीं होती। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को रिमाण्ड किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि विवाद पुत्र व पिता के मध्य है। विवादित आराजी में पक्षकारान के अधिकारो का निर्धारण मूलवाद में तय होना शेष हैं, दौराने वाद, विवादित भूमि को सुरक्षित रखने एवं वादकरण की जटिलता व बहुलता से बचने के लिए विवादित भूमि के रेकार्ड व मौके की, पक्षकारान द्वारा यथास्थिति रखना निरापद होती है। जहॉ तक अपीलाण्ट की अन्य आपत्तियॉ यथा पुत्रियो को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है अथवा अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो महत्वपूर्ण घटको का विवेचन नहीं किया है, बाबत हम पाते हैं कि प्रकरण में यदि कोई पक्षकार जुडने से छूट गया है, तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलाण्ट उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोही करते हुये जुडवा सकते हैं। अपीलाण्ट की दूसरी आपत्ति में भी हम कोई बल नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू पर पूर्ण विवेचना की गयी है एवं अपीलाधीन आदेश से उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मात्र मूल वाद के निर्णय तक पुष्ट किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई का आदेश दिनांक 13.04.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 08.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08-01-2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर